



इलाहाबाद उच्च न्यायालय
रिट- सी सं0 - 1465 वर्ष 2026

नुरुद्दीन
बनाम

..... याची(गण)

उ0प्र0 राज्य तथा 7 अन्य

..... प्रत्यर्थी(गण)

याची (गण) के अधिवक्ता : अमर सिंह यादव, मनोज कुमार, सैफउल्ला

प्रत्यर्थी (गण) के अधिवक्ता : आजाद राय, मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय सं0 6

मा0 प्रकाश पाड़िया, न्यायमूर्ति

1. आदेश दिनांक 18-12-2021 द्वारा उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 की धारा 116 के अन्तर्गत याची द्वारा दाखिल मामले को उपखण्ड मजिस्ट्रेट, हडिया/प्रत्यर्थी सं0 2 द्वारा अभियोजन के अभाव में खारिज किया गया था।
2. पूर्वोक्त आदेश को रद्द करने के लिए विलम्ब के माफी हेतु आवेदन के साथ याची द्वारा आवेदन दिनांक 24-03-2025 दाखिल किया गया था। यह तर्क दिया गया है कि पर्याप्त समय पहले ही बीत चुका है लेकिन आज की तिथि तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है, अतः रिट याचिका प्रस्तुत है।
3. पक्षकारों के अधिवक्तागण को सुना तथा अभिलेख का परिशीलन किया।
4. मामले के तथ्यों तथा परिस्थितियों में तथा विवादक के गुणावगुण पर कोई राय व्यक्त किये बिना, वर्तमान याचिका को अंततः प्रत्यर्थी सं0 2, उपखण्ड मजिस्ट्रेट हडिया, जिला प्रयागराज को शीघ्रता से तथा अधिमानतः इस आदेश के प्रमाणित प्रति के पेश किये जाने की तिथि से तीन माह के अवधि के अन्दर लेकिन निश्चित रूप से संबंधित पक्षकारों को अवसर देने के पश्चात एवं किसी पक्षकार को अनावश्यक स्थगनों को दिये बिना यदि कोई विधिक बाधा न हो, विधि के अनुसार पूर्वोक्त आवेदन पर विचार करने एवं विनिश्चय करने के निर्देश के साथ निपटाया जाता है।

जनवरी, 29, 2026

(प्रकाश पाड़िया, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"